



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
मुकदमा नं. 62/2019 ज.प.प.र.संघासिलरंग

नया  
अदालत  
हुक्म  
में हुक्म

करोबीदान बनाम अन्वय कर

20  
2020

अभिभावक प्राप्ति उपर। रिजर्व फंड हे मुकी हे  
पत्रवाली में शामिल नोटिस जारी नहीं दिने  
हे। नोटिस जारी किये जाकर पत्रवाली  
दिनांक 13-4-2020 को पेश हो। P.O. साहब  
अन्वय राजकार्य में पेश है।

12  
20

दिनांक 13-4-2020 को कोर्ट -19 वापस सहमण  
के कारण लीट गटन होने से आज की हा.पेरी  
नियत सिमें जाने पर पत्रवाली आज पेश कर। जिला  
अभिभावक लव शरा -आधिक कार्य स्थान रखा  
गया। पत्रवाली में शामिल नोटिस जारी नहीं  
किये हे। नोटिस जारी सिमें जाकर पत्रवाली दिनांक  
2-11-2020 को पेश हो। जिला कलेक्टर

2  
20

अभिभावक प्राप्ति उपर। साबिक आदेशों की  
पालना नहीं की गई। साबिक आदेशों की  
पालना की जाकर पत्रवाली दिनांक 9-11-2020  
को पेश हो। जिला कलेक्टर  
टोक

9  
20

अभिभावक प्राप्ति उपर। साबिक आदेशों की पालना  
नहीं की गई। साबिक आदेशों की पालना की  
जाकर पत्रवाली दिनांक 19-11-2020 को पेश हो।  
P.O. साहब अन्वय राजकार्य में पेश है।

19  
2020

अभिभावक प्राप्ति उपर। अभिभावक द्वारा प्रा.  
पत्र कमाना-रंग अड्डर इर निकेयन किया  
था कि उसे उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी श्री जे.पी.  
बेटण से -माय की उम्मीद नहीं हे इस कारण  
उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी के आग्रह से  
मिचलरचीन अर्जी सं. 22/2012 उनका  
आनन्वय केवट बनाम करोबीदान सिद्ध अर्थात्  
जो अर्जी सं. 252 दिनांक  
19-12-89 हे, उसे अन्वय निजी -अग्रहण

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
मुकदमा नं. 62/2019 91<sup>0</sup>पल स्थानान्तरण  
करणीदान बनाम उनातक बवर

निर्णय दिनांक  
19-11-2020

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

के अन्तर्गत की जाये। यहाँ की J.P.  
बैठका उपखण्ड अधिकारी निर्णय का बर्दा  
के स्थानान्तरण हो गया है उनके स्थान  
पर सुश्री सुषी अन्वयत जयस्यपति हैं।  
प्रकरण को चलाने का कोई आदेश  
नहीं है। अह: प्रार्थना-यह स्थानान्तरण  
अह्वीकार किया जाता है। जयवली  
मैराल सुमार हेरत बाद हस्तगत जाता  
दाखिल दफ्तर की जाये।

जिला कलेक्टर  
टांक